कार्यालय वनमंडलाधिकारी.पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2021/ 4252 छिन्दवाड़ा दिनांक 01/11/21

प्रति,

रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड,
तृतीय तल डी.बी. मॉल जोन 1
एम.पी. नगर भोपाल

विषय :— छिंदवाड़ा जिले में Jio Digital Fiber Private Ltd. द्वारा Bhimkhedi-Bamhani route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.4 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत् । (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/145519/2020)

संदर्भ :— प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ—5/विविध/2021/10—11/3208 दिनांक 21.09.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 6058 दिनांक 28.10.20214 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी देलाखारी के पत्र क्रमांक 830 दिनांक 11.10.2021 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी झिरपा के पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 29.09.2021

——00——

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा के वनपरिक्षेत्र देलाखारी के वन कक्ष क्रमांक पी 111 , पी 108 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी झिरपा के वन कक्ष क्रमांक पी 58 रकबा 0.28 हे0 (लंबाई 5.6 कि.मी. एवं चौड़ाई 0.50 मी0 गहराई 1.50 मी0) राईट ऑफ वे के अंदर आप्टीकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वनपरिक्षेत्राधिकारी देलाखारी/झिरपा एवं फील्ड इंजीनियर रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड छिन्दवाड़ा द्वारा मौके का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/5/18/2002/10—3 दिनांक 18.11.04 एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ—5/18/2002/10—3 दिनांक 01.07.2009 एवं पत्र क्रमांक/एसपीए/18 दिनांक 30.01.2015 के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु निम्न शर्तों में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जाती है।

1. वनभूमि का वैद्यानिक स्वरुप परिवर्तित नहीं होगा।
2. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।
3. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही दी जायेगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे—किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
4. प्रस्तावित रकबा 0.28 हे. से क्षेत्र से अधिक वनभूमि में कार्य न किया जावें।
5. आप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालते समय कोई वृक्ष काटे नहीं जायेगें।

01.11.21

6. वनभूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार लंबाई 5600 मी. X चौड़ाई 0.50 मी. X गहराई 1.50 मी. से अधिक नहीं होगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वंय के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही किया जायेगा।
9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा। सूर्यास्त किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जावेगा।
10. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा। अन्यथा अनुमति निरस्त मानी जावेगी।
11. शासन द्वारा भविष्य में आवेदक/आवेदक संस्थान से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.02 के पालन में 9.20 लाख प्रति हे. की दर से नेट प्रेजेन्ट वेल्यु की राशि वसूल की जायेगी। शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया जावें।
12. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुॅचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
13. वन विभाग या शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक/आवेदक संस्थान उस शर्त को मानने हेतु बंधनकारी रहेंगें।

उपरोक्त शर्तो के अनुरुप यदि कोई शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। उपरोक्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि कार्य प्रारंभ करने हेतु औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सकें।

01.11.21

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2021/ 4253
छिंदवाड़ा, दिनांक/01/11/21

प्रतिलिपि :— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक एफ–5/विविध/2021/10–11/3208 दिनांक 21.09.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर उनके पत्र कमांक मा.चि./6058 दिनांक 28.10.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

3. उपवनमंडलाधिकारी तामिया सा0 उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. वनपरिक्षेत्राधिकारी देलाखारी/झिरपा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2021